झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।
आम नीलामी सूचना।

सर्व साधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अंतर्गत राज्यसात वाहनों (जहाँ है, जिस स्थिति में है) की बिक्री दिनांक – 14.05.2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे से गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अंतर्गत वन विश्रामागार, रंका में आम नीलामी द्वारा की जायेगी। किसी भी व्यक्ति को यह आपत्ति हो कि आम नीलामी सूचना में उल्लेखित वाहन संबंधी सुनवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो, वे संबंधित मामले में अपना दावा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य हेतु दस्तावेज के साथ कार्यालय अवधि में गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय में दिनांक 13.05.2026 के अपराह्न 5.00 बजे तक या उसके पूर्व समर्पित कर सकते हैं। यदि उक्त तिथि तक उल्लेखित राज्यसात वाहनों पर कोई दावा गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उक्त राज्यसात वाहनों की आम नीलामी द्वारा बिक्री करने पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। नीलामी हेतु राज्यसात वाहनों की सूची, क्रमानुसार विवरणी निम्नांकित है :–

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या / इंजन संख्या / चेचिस संख्या	वाहन जहाँ स्थित है।
1	मोटरसाईकल हिरो होंडा स्पलेण्डर प्लस	CG15D - 3879, Engine no. - 04K15M06351, Chasiss no. - 04K16C06193	रंका पूर्वी वन प्रक्षेत्र परिसर, रंका।
2	मोटरसाईकल हिरो स्पलेण्डर प्लस	CG30C - 2453, Engine no. - HA11EVLHF02996, Chasiss no. - MBLHAW119LHF04694	रंका पूर्वी प्रक्षेत्र वन परिसर, रंका।
3	महिन्द्रा ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित	CG15A - 1076	रंका पूर्वी प्रक्षेत्र वन परिसर, रंका।
4	डिस्कवर मोटरसाईकल	JH14B - 2178	रंका पश्चिमी वन प्रक्षेत्र परिसर, चिनियाँ।
5	मोटरसाईकल हिरो होंडा स्पलेण्डर	JH14A - 1568, Chasiss no. - 06E16C22477	रंका पश्चिमी वन प्रक्षेत्र परिसर, चिनियाँ।
6	मोटरसाईकल हिरो एच0एफ0 डिलक्स	UP64AJ - 3471	रंका पश्चिमी प्रक्षेत्र, रंका वन परिसर, रंका।
7	मोटरसाईकल हिरो एच0एफ0 डिलक्स	CG30C - 5375	रंका पश्चिमी वन प्रक्षेत्र परिसर, चिनियाँ।

8	मोटरसाईकल हिरो सुपर स्पलेण्डर	CG15DD - 8429	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
9	मोटरसाईकल हिरो स्पलेण्डर प्लस	Chasiss no. - MBLHAW120LHJ25573	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
10	मोटरसाईकल हिरो होंडा पैशन प्लस	CG15CA - 9348	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
11	पिकअप 407 (सफेद रंग)	REG. NO. - JH19A - 0808	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
12	महेन्द्रा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित	REG. NO. - CG10DA - 0828, Engine no. - RDLW 03795	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
13	मोटरसाईकल हिरो होण्डा	JH03AH - 8385	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
14	TATA XENON पिकअप (सफेद रंग)	Chassis no.- MAT 524001DRG05321	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।
15	मोटरसाईकल स्पलेण्डर प्लस (रंग काला)	JH03AK - 6560	भण्डरिया वन प्रक्षेत्र परिसर, भण्डरिया।

नोट :–

1. विस्तृत सूचना के लिए कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में या दूरभाष संख्या 9341791906 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
2. आम निलामी की शर्तें एवं वाहनों की सूची https://garhwa.nic.in/ एवं https://forest.jharkhand.gov.in/ के website तथा कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

21/04/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

आम नीलामी की शर्तें :-

(1) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान का GST निबंधन होना अनिवार्य होगा।

(2) आम निलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये की अग्रधन की राशि (Gate Money) नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा के पदनाम से एवं गढ़वा जिला स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में भुगतेय हो, जमा करना होगा।

(3) सफल क्रेता को प्रत्येक वाहन का क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि दिनांक– 14.05.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के समक्ष जमा करना होगा।

(4) प्रत्येक वाहन के लिए सफल क्रेता को आम नीलामी की तिथि से 15 दिनों के अंदर क्रय मूल्य की पूरी राशि, आयकर एवं GST अधिनियम के तहत् अनुमान्य कर का भुगतान करना होगा तथा GST अधिनियम की तहत् देय कर का भुगतान रिभर्स चार्ज मैकेनिज्म (R.C.M.) के अंतर्गत करना होगा तथा चालान एवं रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वाहन उठाव की अनुमति दी जायेगी।

(5) सफल क्रेता को वाहन का उठाव (जो वाहन जहाँ है वहीं से) अपने खर्च पर करना होगा।

(6) असफल क्रेता को अग्रधन की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेता का अग्रधन की राशि वाहन के क्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।

(7) आम नीलामी की तिथि, समय, स्थान आदि में परिवर्तन/रद्द इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल को सुरक्षित रहेगा।

(8) सफल क्रेता, आम नीलामी की तिथि से 15 दिनों के अंदर वाहन का क्रय मूल्य की राशि, आयकर एवं G.S.T. अधिनियम के तहत् देय कर का भुगतान नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि बिना कारण बताये हुए झारखण्ड राज्य सरकार के पक्ष में Forfeit कर ली जाएगी।

(9) वाहन क्रय के बाद, वाहन का निबंधन एवं अन्य नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेवारी क्रेता की होगी।

(10) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान उपर्युक्त वाहनों को (जो जहाँ है, जिस स्थिति में है) किसी भी दिन कार्यालय अवधि में उनके रखे गये स्थान पर देख सकते हैं।

(11) विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल गढ़वा रहेगा।

21/04/26

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।